न्यायालय :– न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरवाड़, जिला–अजमेर

पीठासीन अधिकारी : नवीन मीणा, आर.जे.एस.

आपराधिक नियमित प्रकरण सं. : 588/2019

सी.आई.एस. प्रकरण सं. : 339/2019

राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी.

ब ना म

अम्बालाल पुत्र रामनारायण उम्र 38 साल निवासी दाताजी पुलिस थाना लाम्बाहरिसिंह जिला टोंक
..........अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 427, 295ए भा.दं.सं.

उपस्थितिः–

1. सहायक अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य
2. श्री निहालचन्द जैन, श्री ओमप्रकाश चौधरी अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

अपराध किए जाने की तिथि	08.07.2019
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	08.07.2019
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	22.01.2020
साक्ष्य आरम्भ किए जाने की तिथि	02.12.2021
निर्णय की तिथि	09.07.2026

नि र्ण य **दिनांक : 09.07.2026**

1. इस प्रकरण में दिनांक 19.11.2019 को विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने थानाधिकारी पुलिस थाना सरवाड की ओर से अभियुक्त अंबालाल के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 427, 295ए भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 08.07.2019 को प्रार्थी सलीम ने एक टाईपशुदा रिपोर्ट पुलिस थाना सरवाड में इस आशय की पेश की, कि प्रार्थी आज कसाणा उसके रिश्तेदार की तबीयत पूछने मारूति वैन नं आरजे 01 यू.ए. 5644 लेकर गया था तथा उसके साथ अयुब खोखर और आमीन खोखर भी गए थे। जब वे कसाणा से सरवाड आ रहे थे शाम करीब 6 बजे ग्राम हरपुरा से पहले अम्बालाल गुर्जर व उसके साथ करीब 10 लोगों ने शराब पीकर अपने ट्रेक्टर को सामने से लाकर उनकी वैन को अडा दी व ट्रेक्टर को सडक पर लगाकर हाथों में लाठिया लिए खडे हो गए व उनके साथ मारपीट करने लग गए। जब उन्होंने रोकना चाहा तो कहने लगे कि इन कट्यो

Authenticated Document

को मारो, इनको पाकिस्तान भेज दो। इन कट्यो को मार कर फेक दो, आदि उनके साथ धार्मिक अपशब्द बोलने लगे तथा तीनो को मारने लगे। अयुब खोखर की ढाढी पकडकर खींचने लगे व उनकी धार्मिक बेइज्ज़ती करने लगे। जब वे भागने लगे तो उनकी गाडी को पलटने की कोशिश की व गाडी को लाठियों व भाटों से नुकसान पहुंचाया। वह व उसके साथ के लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से निकल कर आए। अयुब हार्ट का मरीज है, उनको वह तथा आमीन ने अपनी मारपीट झेलते हुए उनकी जान बचाई..... आदि रिपोर्ट पर पुलिस थाना सरवाड द्वारा मुकदमा सं. 171/2019 अन्तर्गत धारा 143, 323, 341, 427, 295ए भा.दं.सं. में दर्ज किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त अंबालाल के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा धारा 341, 323, 427, 295ए भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया जाने पर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा धारा 341, 323, 427, 295ए भा.दं.सं. में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण को नियमित फौजदारी दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. अभियुक्त के न्यायालय के उपस्थित आने पर उन्हें अन्तर्गत धारा 341, 323, 427, 295ए भा.दं.सं. हेतु आरोप पृथक से विरचित कर लिखित रूप में सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने अपराध आरोप सुन व समझकर अस्वीकार किया तथा अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्न गवाहन को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया गया है –

क्र.सं. (पी.डब्ल्यु.)	**अभियोजन साक्षी**
पी.डब्ल्यु. 1	नरेश
पी.डब्ल्यु. 2	अयूब खान
पी.डब्ल्यु. 3	डॉ. अखिलेश पालरिया
पी.डब्ल्यु. 4	सलीम
पी.डब्ल्यु. 5	आमिन खान
पी.डब्ल्यु. 6	बसराज
पी.डब्ल्यु. 7	गजानन्द
पी.डब्ल्यु. 8	संतोष कुमार
पी.डब्ल्यु. 9	सतीश कुमार
पी.डब्ल्यु. 10	महावीर
पी.डब्ल्यु. 11	मोहम्मद मुस्तकीम

5. प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्न दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया है –

क्र.सं.	**प्रदर्श**	**दस्तावेज विवरण**
1	प्रदर्श पी–1	फर्द गिरफ्तारी
2	प्रदर्श पी–2	धारा 27 साक्ष्य अधि. की इत्तला
3	प्रदर्श पी–3	रिपोर्ट

Authenticated Document

4	प्रदर्श पी–4	फर्द निरीक्षण वाहन मारूति वैन
5	प्रदर्श पी–5	नक्शा मौका
6	प्रदर्श पी–6	चोट प्रतिवेदन अंबालाल
7	प्रदर्श पी–7	चॉक एफ.आई.आर.
8	प्रदर्श पी–8 व प्रदर्श पी–9	मारूति वैन के फोटोग्राफ
9	प्रदर्श पी–10	फर्द तस्दीक नक्शा मौका मुताबिक धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला
10	प्रदर्श पी–11	पुलिस बयान बसराज
11	प्रदर्श पी–12	पुलिस बयान गजानन्द
12	प्रदर्श पी–13	पुलिस बयान महावीर

6. अभियुक्त के धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत बयान लिए गए जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन पक्ष की साक्ष्य को गलत होना तथा स्वयं को झूंठा फंसाया जाना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

7. बहस अन्तिम सुनी गयी। दौराने बहस अंतिम विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से दौराने बहस कथन किया गया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित समस्त गवाहान की साक्ष्य एवं अन्य प्रदर्शित दस्तावेजी साक्ष्यों से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। जबकि दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा यह तर्क दिया गया कि गवाहान के बयानों से घटना की ताईद नहीं होती है। प्रार्थी ने उक्त प्रकरण झूंठा दर्ज करवाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान के बयानों में गंभीर विरोधाभास है नक्शा मौका गवाहान के बयानों से साबित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

8. उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण मे विचारणीय बिंदु यह है कि....

क्या दिनांक 08.07.2019 को शाम करीब 6 बजे ग्राम हरपुरा से पहले सरवाड की तरफ परिवादी सलीम, अयुब व आमिन का सदोष अवरोध कारित कर उनके साथ स्वेच्छया कुंद हथियार से मारपीट कर आहतगण के साधारण उपहतियां कारित करते हुए परिवादी सलीम की मारूति वैन आरजे 01 यू.ए. 5644 में तोडफोड कर 50/– रूपए से अधिक का नुकसान कारित कर रिष्टि कारित की तथा आहतगण को धार्मिक अपशब्द बोलकर आहत अयुब की ढाढी पकडकर धार्मिक

बेइज्ज़ती कर किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान कर उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया? यदि अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराध साबित हैं तो उसके लिए समुचित दंड क्या होगा?

9. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त अंबालाल के विरूद्ध अंतर्गत धारा 341, 323, 427, 295ए भारतीय दंड संहिता के आरोपों के तहत विचारण किया गया है।

10. प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा प्रकरण इस आशय का दर्ज करवाया है कि दिनांक 08.07.2019 को सांय करीब 6 बजे पर अभियुक्त द्वारा प्रार्थी व उसके साथ वैन में बैठे अयुब आमीन के साथ मारपीट की गयी, उनकी वैन आरजे 01 यू.ए. 5644 में तोडफोड कर रिष्टी कारित की एवं आहतगण को धार्मिक अपशब्द बोलकर, धार्मिक बेइज्ज़ती कर उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया।

11. उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष यह तथ्य उभरकर सामने आए है कि अभियोजन द्वारा घटना को सिद्व करने के लिए कुल 11 साक्षीगण को परीक्षित करवाया गया है।

12. इस संबंध में न्यायालय के समक्ष प्रार्थी सलीम पी.ड. 4 के रूप में परीक्षित हुए है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह सरवाड का रहने वाला है तथा गाडी चलाता है। उसके पास मारूति वैन है जिसके नंबर आरजे.01.यूए.5644 है। दिनांक 08.07.2019 को वह अयूब कोकर व उनके पुत्र आमीन कोकर दोनों को लेकर जयपुर हॉस्पिटल में दिखाने गया था वहां से दिखाकर वापस आ रहा था। तभी उनके रिश्तेदार की तबीयत खराब थी तो कसाना गए थे और कसाना से वापस ग्राम हरपुरा आ रहे थे। तभी रास्ते में सामने से एक व्यक्ति अम्बालाल गुर्जर ने ट्रेक्टर लाकर उसकी वैन के सामने से टक्कर मार दी तब उसने साईड में लेकर उससे कहा कि भाई ट्रेक्टर देखकर चला अभी दुर्घटना हो जाती इसी बात को लेकर ट्रेक्टर से 8–10 लोग उतर कर हमारे साथ हाथापाई की और अयुब कोकर व आमीन कोकर आए तो उनकी ढाढी पकड कर खींचने लग गए और कहा कि इन कटुओं को पाकिस्तान भिजवाओ इनको यहां रहने का कोई हक नहीं है। अम्बालाल ने ट्रेक्टर से उसकी गाडी के टक्कर मारकर मेरी गाडी के शीशे तोड दिए जिससे मुझे 18 से 20 हजार रुपए का नुकसान हो गया। इस घटना की रिपोर्ट उसने पुलिस थाना सरवाड में दर्ज करवाई जो प्रदर्श पी–3 है। **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने कथन किया कि **रिपोर्ट थाने में एएसआई साहब से लिखवायी थी।** इस तथ्य से इनकार किया कि रिपोर्ट में क्या लिखा उसे पता नहीं हो, अजखुद कहा कि उसने जो कहा वहीं रिपोर्ट में लिखा है। गवाह ने कथन किया कि रिपोर्ट में 10 लोगो का अंकन है, उन सभी के हाथों में लकडिया थी। उन लोगों ने उनके साथ आधे घंटे तक मारपीट की। गवाह ने कथन किया कि

मारपीट से उसके पीठ, पैर में चोटें आयी थी। गवाह ने यह स्वीकार किया कि उसने उसकी चोटों का मेडिकल नहीं करवाया। गवाह ने इस तथ्य से इनकार किया कि उन्होंने अंबालाल के साथ मारपीट की हो, क्योंकि उनके पास हथियार नहीं थे। गवाह ने कथन किया कि पुलिसवालो ने नक्शा मौका दिनांक 08.07.2019 को 5.30—6 बजे बनाया था। वाहन सं आरजे 01 यू.ए. 5644 के स्वामित्व बाबत कागजात पत्रावली में नहीं है। गवाह ने कथन किया कि मारपीट करने वालों के अलावा 4—5 लोग रास्ते में इकट्ठे हो गये थे। गवाह ने कथन किया कि अंबालाल ने धार्मिक अपशब्द बोले थे इसका अंकन रिपोर्ट प्रदर्श पी—3 में नहीं है। अजखुद कहा कि इन कटुओं को मारो और पाकिस्तान भिजवाओ इन्हें यहां रहने का कोई हक नहीं है, का अंकन है। गवाह ने यह स्वीकार किया कि ट्रेक्टर व मारूति वैन के अडने से ही विवाद हुआ। यह स्वीकार किया कि वक्त घटना उसने घटना की कोई विडियों नहीं बनायी।

13. इसी प्रकार प्रकरण के अन्य आहत पी.ड. 2 अयूब ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि आज से करीब पौने 3 साल पहले वह, उसका लडका आमीन एक चालक सलीम की वैन में जयपुर डॉक्टर को दिखाने के लिए गए थे। उसके बाद में वापस आते समय कसाना में उसके रिश्तेदार के घर पर हालचाल पूछने गए थे वापस आते समय हरपुरा के एक किलोमीटर आगे अम्बालाल ने मारूति वैन के टक्कर मार दी। उसने अम्बालाल से बात की और कहा कि ट्रेक्टर को ऐसे क्यों चला रहे हो तो अम्बालाल ने उन तीनों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और कहा कि कटवों यहां से चले जाओ तुम्हें यहां रहने का कोई हक नहीं है पाकिस्तान चले जाओ। वहां पर आसपास के लोग आए और बीचबचाव कराया। गाडी के टक्कर लगने से शीशा टूट गया था और रगड के निशान हो गए थे। फिर उसने और उसके बेटे आमीन और सलीम ने पुलिस थाना सरवाड में घटना की रिपोर्ट दी। **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया कि रिपोर्ट घटना के दिन ही दी थी। रिपोर्ट वकील द्वारा लिखवाई थी। रिपोर्ट उसके लिखाए अनुसार वकील साहब ने लिखी थी। गवाह ने कथन किया कि रिपोर्ट में उसने यह बात लिखवाई थी कि जयपुर में ईलाज करवाकर आ रहे थे। गवाह ने कथन किया कि अंबालाल व उसके साथ 5—7 आदमी और थे। पुलिसवालो ने उसका मेडिकल नहीं करवाया था। गवाह ने कथन किया कि मारपीट में उसके हाथ पर सरिए की मारी थी। उसने अपने चोटों का मेडिकल नहीं करवाया। गवाह ने आगे कथन किया कि इन लोगों ने अंबालाल के साथ भी मारपीट थी, जिसका पत्रावली में मेडिकल लगा हुआ है। पुलिसवालो ने नक्शा मौका घटना के दूसरे दिन बनाया उस वक्त वह मौके पर नहीं था। गवाह ने कथन किया कि छुडाने वाले 5—7 आदमियों के नाम वह नहीं जानता है। गवाह ने यह स्वीकार किया कि मेन विवाद तो ट्रेक्टर से टकराने का था। स्वयं ने कहा कि फिर टक्कर मारने के बाद अपशब्द कटवा व पाकिस्तान चले जाओ इस प्रकार से बोला था इसलिए विवाद हो गया था।

Authenticated Document

14. प्रकरण के अन्य आहत पी.ड. 5 आमिन ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि तीन साल पहले वह उसके पिता अययुब को दिखाने के लिए मारूति वैन मे जयपुर गये थे। वैन का मालिक सलीम था। वापस आते समय हरपुरा कसाणा जहां पर उनके रिश्तेदार रहते है उनकी तबीयत खराब थी जिनका समाचार लेने गये थे। हरपुरा से केकडी आ रहे थे तभी सामने से अंबालाल ट्रेक्टर लेकर आ रहा था जिसमे कंभे भरे हुये थे और अंबालाल ने शराब पी रखी थी। उसने उनकी वैन को खंभों से ड्राईवर साईड से टक्कर मार दी जिससे वैन खाई मे गिरते गिरते बच गई। फिर सलीम ने अंबालाल को बोला कि ऐसे कैसे चला रहा था तो अंबालाल जिसने शराब पी रखी थी उसने सलीम के मार दी और उसके पिताजी गये और कहा कि गलती तेरी सलीम को क्यो मार रहा है तो उसने उसके पिता की दाढी पकड ली और बोला कि तुम कटवे हो तुम्हे पाकिस्तान जाना चाहिए, तुम्हे यहां रहने का कोई अधिकार नही है, उसने हमे देशद्रोही बोलते हुए अपशब्द भी बोले और उसके पिता के साथ मारपीट करी और उनकी वैन का पीछे वाला शीशा तोड दिया। अंबालाल ने उसके साथ भी मारपीट करी। घटनास्थल पर उनका रिश्तेदार भी जिसका नाम उसे पता नही उसने उनका बीच बचाव कराया था उसके साथ भी मारपीट करी थी। **प्रतिपरीक्षण में** गवाह ने कथन किया कि रिपोर्ट थाने में घटना के अगले दिन दी थी। रिपोर्ट अगले दिन कितने बजे दी, समय पता नहीं है। रिपोर्ट प्रदर्श पी—3 में क्या लिखा था उसे पता नहीं क्योकि रिपोर्ट कलिमुद्दीन ने टाईप की थी। गवाह ने यह स्वीकार किया कि वैन गडढे में गिरते गिरते बच गयी थी यह बात रिपोर्ट में नहीं लिखी। गवाह ने यह स्वीकार किया कि उसके पुलिस बयान में बीचबचाव वाली बात नहीं लिखी है लेकिन उसके रिश्तेदार ने बीचबचाव कराया था। मौके पर लगभग 40 आदमी थे। **गवाह ने यह स्वीकार किया कि अंबालाल ने धार्मिक ग्रंथ के बारे में कुछ नहीं बोला था।** मारपीट लगभग आधे घंटे हुयी जिसमें उसके पिता व सलीम को मारी थी। उन्होंने मेडिकल नहीं कराया। गवाह ने कथन किया कि उसकी जानकारी में नहीं है कि अंबालाल के साथ मारपीट की हो, उसका मेडिकल पत्रावली में लगा हो। अजखुद कहा कि फर्जी मेडिकल बनाया था।

15. इसी प्रकार गवाह पी.ड. 11 मोहम्मद मुस्तकीन ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 08.07.2019 को शाम को 5—5.30 बजे हरपुरा से आगे एक—डेढ किलोमिटर केकडी की ओर की बात है, वह कोटडी से आया था तब रास्ते में अयूब जी, सलीम जी, अम्बालाल जी और आमीन जी थे। अम्बालाल और इनके मध्य साईड देने की बात को लेकर विवाद हो रहा था उसने इनकों समझाया था। अम्बालाल ने शराब पी रखी थी और अपशब्द बोल रहा था।

अम्बालाल ने अयूब जी, सलीम जी, और आमीन जी से मारपीट की थी। अम्बालाल ने उन तीनों को बोला तुम मुल्लों की दाढी उखाड लूगा और पाकिस्तान भेज दुंगा। अम्बालाल ट्रेक्टर से आया था और वो तीनों वैन में थे। ट्रेक्टर से वैन का साईट गलास और मेन शीशा टूट गया था। इन तीनो मुकदमा दर्ज करा दिया था। **प्रतिपरीक्षण में** कथन किया कि जब मारपीट हो रही थी तब वह मौके पर आ गया था। गवाह ने कथन किया कि मारपीट से अयुब, आमीन व सलीम के गर्दन के चोट आयी थी। वक्त घटना मौके पर 8–10 आदमी इकट्ठा हो गये थे, जिनको वह नहीं जानता है। घटना 8 तारीख की है। गवाह ने यह स्वीकार किया कि अंबालाल ने उनके धार्मिक ग्रन्थ कुरान के बारे में कुछ गलत नहीं बोला था। गवाह ने यह स्वीकार किया कि उसने अंबालाल को वैन का कांच तोडते हुए नहीं देखा था वह आया तब कांच टूटा हुआ था।

16. इसी प्रकार प्रकरण के अन्य गवाह पी.ड. 6 बसराज पक्षद्रोही होकर मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह हरपुरा का रहने वाला है एवं गजानन्द को जानता है। वह भेडे चरा कर आ रहा था। गजानन्द ट्रेक्टर में आ रहा था। बलाई की नाडी के पास अंबालाल और मुसलमान व्यक्तियों के मध्य लडाई हो रही थी। मुसलमान व्यक्तियों के पास वैन थी। उसने जाकर बीचबचाव कराया था। **अभियोजन पक्ष के प्रतिपरीक्षण** में कथन किया कि जब वह गया तब अंबालाल व मुस्लिम व्यक्ति लड रहे थे। यह स्वीकार किया कि वैन का पीछे का शीशा टूटा हुआ था। यह उसकी जानकारी में नहीं है कि अंबालाल ने वैन का शीशा तोडा हो। गवाह ने कथन किया कि उसकी जानकारी में नहीं है कि अंबालाल ने मुस्लिम व्यक्तियों से मुसलमान हो, कटवा हो पाकिस्तान चले जाओं कहा हो। गवाह ने आगे कथन किया कि उसके पुलिस बयानो में कांच टूटा हुआ है लिखा है लेकिन उसने कांच टूटा हुआ नहीं देखा था। अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया कि जब वह मौके पर पहुंचा उस समय जो व्यक्ति वैन में थे वह अंबालाल के साथ मारपीट कर रहे थे। यह स्वीकार किया कि उसने अंबालाल को शीशा तोडते हुए नहीं देखा और न ही उसने शीशा टूटा हुआ देखा। यह स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–10 पर हस्ताक्षर थाने में करवाए थे किस बात के करवाए उसे पता नहीं।

17. इसी प्रकार गवाह पी.ड. 7 गजानन्द ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि करीब चार साल पहले शाम को 6 बजे वह अपने खेत पर जा रहा था। हरपुरा जाने वाले रोड पर अम्बालाल खंभे लेकर आ रहा था तो अम्बालाल के ट्रेक्टर से गाडी का कांच फुट गया था तो

Authenticated Document

गाडी में बैठे लोग व अम्बालाल के मध्य गाली—गलौच व लडाई—झगडा हो गया था। गाडी में बैठे लोग मुसलमान थे। 3—4 लोग थे। अभियोजन पक्ष की जिरह में कथन किया कि अंबालाल ने गाडी के शीशे तोड दिए थे, स्वयं कहा कि अंबालाल पैसे दे रहा था, उन्होंने नहीं लिए। गवाह ने कथन किया कि अंबालाल व मुसलमानो के बीच खींचतान हुई तब वह दूर था, इसलिए क्या कहा सुन नहीं पाया। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य से इनकार किया कि वैन मे बैठकर आए लोगों ने अंबालाल के साथ मारपीट की हो, बल्कि उनके बीच बोलचाल हुयी थी। गवाह ने कथन किया कि उसे कम दिखता है। गवाह ने यह स्वीकार किया कि उसने गाडी के शीशा टूटा हुआ नहीं देखा।

18. इसी प्रकार गवाह पी.ड. 10 महावीर ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि आज से 5 साल पहले वह भेडों को चरा कर वापस घर आ रहा था। गॉव हरपुरा में जंगल के रास्ते की बात है। वहॉ पर उस समय अंबालाल जो उनके गॉव का ही है वह ट्रेक्टर पर था। उसके ट्रेक्टर में खम्भे भरे हुये थे और दूसरी तरफ वैन खडी थी और उसमें मुस्लिम समुदाय के आदमी मौजूद थे। मारूती वैन के चालक और अन्य मुस्लिम लोग जो कसाना के रहने वाले थे, वो यह कह रहे थे कि अंबालाल ने मारूती वैन के अडा दिया जिससे वैन का कांच टूटा हुआ था। वो लोग आपस में बोलचाल कर रहे थे और लडाई झगडा कर रहे थे। अभियोजन पक्ष के **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने यह स्वीकार किया कि वैन सफेद रंग की थी जिसके पीछे का कांच टूटा हुआ था। गवाह ने कथन किया कि यह उसकी जानकारी में नहीं है कि अंबालाल ने आमीन, अयुब व सलीम के साथ मारपीट की हो। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि घटना उसके सामने घटित नहीं हुयी। गवाह ने कथन किया कि उसकी जानकारी में नहीं है कि वैन के कांच किस तरह टूटे। उसने किसी प्रकार का लडाई—झगडा होते हुए नहीं देखा, न ही किसी से सुना।

19. गवाह पी.ड. 1 नरेश एवं पी.ड. 6 संतोष जो कि पुलिस कार्मिक होकर फर्द गिरफ्तारी के गवाह है जिन्होंने अपने—अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त अंबालाल को गिरफ्तार किए जाने का कथन किए हैं। गवाह पी.ड. 3 डॉ अखिलेश पालरिया को अंबालाल के चोट प्रतिवेदन प्रपत्र की सम्पुष्टि हेतु परीक्षित करवाया गया है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में आहत अंबालाल का दिनांक 16.07.2019 को चोट प्रतिवेदन तैयार करना एवं चोटें 4—5 दिन पुरानी होने का कथन किया है।

20. अनुसंधान अधिकारी के रूप में गवाह पी.ड. 9 सतीश कुमार को परीक्षित करवाया गया है जिसने मुख्य परीक्षण में अनुसंधान के दौरान की गयी कार्यवाही की सम्पुष्टि की है। **प्रतिपरीक्षण** में यह स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–3 रिपोर्ट में घटना की दिनांक अंकित नहीं है। यह स्वीकार किया कि उसके द्वारा कोई वाहन जब्त नहीं किया गया। यह स्वीकार किया कि घटनास्थल के आस–पास के किसी गवाह के बयान लेखबद्ध नहीं किए गए। यह स्वीकार किया कि नक्शा मौका प्रदर्श पी–5 पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। गवाह ने कथन किया कि उसके द्वारा प्रकरण में कोई लाठी, लकडी जब्त नहीं की गयी। गवाह ने कथन किया कि परिवादी की वैन आरजे 01 यू.ए. 5644 का पिछला कांच टूटा हुआ था। गवाह ने कथन किया कि परिवादीगण के कोई जाहिरा चोट नहीं थी।

21. **इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य तथा चश्मदीद गवाह के साक्ष्य की समग्र रूप से विवेचना किए जाने पर न्यायालय के समक्ष यह दृष्टिगत है कि** प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 427 एवं 295ए भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा एक रिपोर्ट अभियुक्त के विरूद्ध इस आशय की पेश की, कि दिनांक 08.07.2019 को सांय करीब 6 बजे पर अभियुक्त द्वारा प्रार्थी व उसके साथ वैन में बैठे अयुब आमीन के साथ मारपीट की गयी, उनकी वैन आरजे 01 यू.ए. 5644 में तोडफोड कर रिष्टी कारित की एवं आहतगण को धार्मिक अपशब्द बोलकर, धार्मिक बेइज्जती कर उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया।

22. प्रकरण में अभियोजन का संपूर्ण मामला इस आधार पर है कि दिनांक 08.07.2019 को अभियुक्त द्वारा परिवादी पक्ष का रास्ता रोककर उनके साथ मारपीट की गई, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले शब्द कहे गए तथा परिवादी की मारूति वैन को क्षति पहुँचाई गई। अभियोजन ने अपने कथन के समर्थन में परिवादी सहित अन्य प्रत्यक्षदर्शी एवं अनुसंधान अधिकारी का न्यायालय के समक्ष परीक्षण कराया है।

23. इस संबंध में संपूर्ण साक्ष्य के सम्यक् परीक्षण से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि घटना का मूल कारण अभियुक्त के ट्रैक्टर एवं परिवादी की मारूति वैन के मध्य रास्ते में हुई टक्कर अथवा साइड देने को लेकर उत्पन्न विवाद था। स्वयं अभियोजन के गवाहान के कथनों से यह तथ्य स्थापित होता है कि घटना अचानक उत्पन्न हुए विवाद का परिणाम थी। प्रकरण में परिवादी द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है उसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त अंबालाल के अतिरिक्त लगभग दस व्यक्ति और मौके पर आ गये तथा सभी ने लाठियों से परिवादी एवं उसके साथियों के साथ मारपीट की। **यदि उक्त कथन को सत्य माना जाये तो स्वाभाविक रूप से परिवादी एवं उसके साथ उपस्थित अन्य व्यक्तियों के शरीर पर चोटें आना अपेक्षित था, किन्तु अभियोजन द्वारा परिवादी अथवा उसके**

किसी भी साथी का चिकित्सीय परीक्षण अथवा चोट प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा कथित मारपीट का कोई स्वतंत्र चिकित्सीय समर्थन उपलब्ध नहीं है।

इसके विपरीत अभियोजन ने स्वयं अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण एवं चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी—6 अभिलेख पर प्रस्तुत किया है, जिससे अभियुक्त के शरीर पर साधारण प्रकृति की चोटें होना प्रमाणित होती हैं। अभियोजन पक्ष इन चोटों के संबंध में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर सका है। यद्यपि प्रत्येक मामले में अभियुक्त की चोटों का स्पष्टीकरण न देना अभियोजन के लिए घातक नहीं होता, तथापि जहाँ घटना का प्रारम्भ अचानक हुए विवाद से हुआ हो तथा अभियोजन स्वयं सामूहिक मारपीट का आरोप लगाता हो, वहाँ अभियुक्त की चोटों का अनुत्तरित रह जाना अभियोजन की सत्यता पर संदेह उत्पन्न करता है तथा यह संभावना प्रबल होती है कि अभियोजन ने घटना का वास्तविक स्वरूप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है।

24. **अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र गवाहान पी.ड. 6 बसराज, पी.ड. 7 गजानन्द, पी.ड. 10 महावीर पक्षद्रोही हुए हैं** एवं उक्त गवाहान भी अभियोजन के कथन का पूर्ण समर्थन नहीं करते हैं, अपितु न्यायालय के समक्ष हुए कथनों में अंबालाल द्वारा मारपीट किए जाने की सम्पुष्टि नहीं की है अपितु अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी जिरह में गवाह पी.ड. 6 बसराज ने कथन किया कि जब वह मौके पर पहुंचा तब जो व्यक्ति वैन में थे वे अंबालाल के साथ मारपीट कर रहे थे। इसी प्रकार गवाह पी.ड. 7 ने अंबालाल द्वारा वैन वाले व्यक्तियों के साथ मारपीट किए जाने से इनकार किया है। इसी प्रकार गवाह पी.ड. 10 महावीर ने अंबालाल द्वारा आमीन, अयुब व सलीम के साथ मारपीट किए जाने की जानकारी होने से इनकार किया है तथा प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि जो घटना घटित हुयी उसके सामने नहीं हुई। उक्त गवाहान के अतिरिक्त अन्य गवाहान पी.ड 2 अयुब, पी.ड. 4 सलीम, पी.ड. 5 आमिन द्वारा अपने—अपने कथनों में उनका मेडिकल नहीं कराए जाने का कथन किया है। **साथ ही उनके न्यायालय के समक्ष हुए कथनों से केवल विवाद अथवा झगड़ा होना परिलक्षित होता है, किन्तु अभियोजन द्वारा वर्णित सामूहिक मारपीट की घटना का पर्याप्त स्वतंत्र समर्थन प्राप्त नहीं होता, जिससे अभियेाजन मारपीट का आरोप संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है।**

25. अभियुक्त पर आरोपित अपराध अन्तर्गत **धारा 295A भा.दं.सं.** के संबंध में भी अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा यदि कोई कथन कहा भी गया हो तो वह धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर एवं दुर्भावनापूर्ण आशय से आहत करने के उद्देश्य से कहा गया था। इस संबंध में प्रकरण में परीक्षित गवाहान की साक्ष्य को देखे तो गवाह पी.ड. 2 अयुब खान, पी.ड. 4 सलीम जो कि प्रार्थी है, अपने—अपने साक्ष्य में वक्त घटनास्थल ट्रेक्टर व मारूति वैन के अडने से

विवाद होना एवं उसके पश्चात अभियुक्त व उसके साथ आए अन्य व्यक्तियों द्वारा उनके साथ मारपीट करना एवं धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले शब्द कहे जाने का कथन किए हैं। परन्तु वहीं वैन में सवार अन्य गवाह पी.ड. 5 आमिन खान ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस तरह का कोई कथन नहीं किया है, अपितु प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि अंबालाल ने धार्मिक ग्रंथ के बारे में कुछ नहीं बोला था एवं उसके रिश्तेदार द्वारा बीचबचाव कराए जाना बताया। इस संबंध में उनके रिश्तेदार गवाह पी.ड. 11 मोहम्मद मुस्तकीन की साक्ष्य को देखे तो उक्त गवाह ने अपने साक्ष्य में कथन किया कि दोनो पक्षा के मध्य वाहन को साईड देने की बात पर विवाद हो गया था। यह स्वीकार किया कि वक्त घटना 5–10 आदम इकट्ठा हो गए थे। यह भी स्वीकार किया कि अंबालाल ने उनके धार्मिक ग्रंथ कुरान के बारे में कुछ गलत नहीं बोला था। संपूर्ण साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि विवाद अचानक सड़क पर वाहन टकराने से उत्पन्न हुआ था। ऐसी परिस्थिति में क्षणिक आवेश में कहे गये कथनों को बिना स्पष्ट एवं विश्वसनीय साक्ष्य के धारा 295A के आवश्यक तत्व "जानबूझकर एवं दुर्भावनापूर्ण आशय" का प्रमाण नहीं माना जा सकता। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त **Ramji lal Modi Vs State of U.P. 1957 AIR 620** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ''Section 295A punishes only aggravated forms of insult made with deliberate and malicious intention to outrage religious feelings. The Court emphasized that every offensive statement does not attract Section 295A.''

इस संबंध में न्यायालय को देखना होगा कि उक्त बातें (इन कट्यों को मारकर फेक दो, इनको पाकिस्तान भेज दो) दोनों वाहनों के टकराव के बाद हुए झगडें के दौरान कहीं गयी थी अथवा अभियुक्त द्वारा जानबूझकर किसी धर्म का अपमान करने के आशय से या दुर्भावनापूर्ण इरादे से कही गयी थी। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रथमदृष्टया यह दर्शित होता है कि प्रकरण में प्रार्थी पक्ष एवं अभियुक्त के वाहन के टक्कर को लेकर आपस में विवाद हुआ था। पत्रावली में अभियोजन द्वारा इस प्रकार का कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह परिलक्षित होता हो कि अभियुक्त द्वारा जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से आकर धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया हो।

26. धारा 295ए भारतीय दंड संहिता में सिर्फ धार्मिक रूप से आपत्तिजनक शब्द बोल देना काफी नहीं है। उक्त धारा में अभियोजन पक्ष को यह भी साबित करना होता है कि अभियुक्त जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से यह किसी धर्म का अपमान करता है। उक्त धारा का मूल सार किसी धर्म का अपमान करना है, न कि किसी व्यक्ति को गाली देना अथवा उसे डराना। प्रकरण में जो तथ्य वर्णित है उसके अनुसार प्रार्थीगण अपने वाहन वैन से जा रहे थे तब अभियुक्त जो कि ट्रेक्टर लेकर जा रहा था से टक्कर हो गयी एवं उक्त टक्कर के विवाद के कारण दोनो पक्षों के बीच मारपीट हुई एवं अभियुक्त द्वारा प्रार्थी को कहा कि इन कट्यों को मारकर फेक दो और इनको पाकिस्तान भेज दो।

इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त बयान साम्प्रदायिक एवं अपमानजनक है एवं इससे धार्मिक पूर्वाग्रह या घृणा उत्पन्न हो सकती है, परन्तु अभियुक्त द्वारा कहे गए उक्त कथन इस्लाम धर्म अथवा उनके धार्मिक विश्वासों का अपमान नहीं करता। अभियुक्त द्वारा कहे गए कथनों का उद्देश्य व्यक्ति से था, न कि उसके धर्म के सिद्धान्तों, प्रतीकों, शास्त्रों या प्रथाओं से था।

न्यायालय को यह देखना है कि क्या उक्त शब्द अभियुक्त द्वारा दोनो पक्षों के मध्य वाहनों की टक्कर को लेकर हुए विवाद से उत्पन्न हुए झगडे के दौरान आवेश में बोले गए थे या अभियुक्त द्वारा धर्म का अपमान करने हेतु जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से बोले गए थे। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन करने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, न्यायालय में परीक्षित गवाहान की साक्ष्य एवं प्रदर्शित दस्तावेज से यह तथ्य प्रकट होते हैं कि उक्त प्रकरण में विवाद इसलिए शुरू हुआ क्योंकि दोनो पक्षों में साइड को लेकर विवाद हुआ और ट्रेक्टर ने वैन को टक्कर मारी एवं इसके पश्चात उभय पक्ष में झगडा हुआ। प्रकरण में इस प्रकार का कोई साक्ष्य/तथ्य नहीं आया है जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती हो कि अभियुक्त जानबूझकर धर्म का अपमान करने के इरादे से मौके पर आया था। अतः अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के द्वारा जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य में (i) परिवादी पक्ष की चिकित्सीय पुष्टि का अभाव, (ii) अभियुक्त की चोटों का संतोषजनक स्पष्टीकरण न होना, (iii) स्वतंत्र गवाहों से अभियोजन के महत्वपूर्ण कथनों का पर्याप्त समर्थन न मिलना, (iv) घटना के वास्तविक स्वरूप के संबंध में संदेह उत्पन्न होना तथा (v) धारा 295A के आवश्यक तत्वों का सिद्ध न होना—ये सभी परिस्थितियाँ सामूहिक रूप से अभियोजन के मामले में युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करती हैं।

27. आपराधिक न्यायशास्त्र का स्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अभियुक्त का अपराध संदेह से परे सिद्ध करना होता है। यदि उपलब्ध साक्ष्य से दो दृष्टिकोण संभव हों, तो वह दृष्टिकोण स्वीकार किया जाना चाहिए जो अभियुक्त के पक्ष में हो। प्रस्तुत मामले में अभियोजन अपने आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना न्यायोचित है।

28. केवल इस कारण कि अभियोजन मारपीट व धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं कर सका, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि संपत्ति को क्षति पहुँचाने व मार्ग अवरुद्ध करने का आरोप भी स्वतः असिद्ध हो गया। प्रत्येक आरोप का मूल्यांकन उसके स्वतंत्र साक्ष्य के आधार पर किया जाना आवश्यक है।

29. प्रकरण में अभियुक्त पर **धारा 427 भारतीय दंड संहिता** का आरोप है, इस संबंध में जहां तक वाहन को क्षति पहुँचाने का प्रश्न है, यद्यपि यांत्रिक निरीक्षण रिपोर्ट एवं फोटोग्राफ से वाहन में क्षति होना सिद्ध होता है, किन्तु मात्र वाहन में क्षति होना इस तथ्य का प्रमाण नहीं है कि उक्त क्षति

अभियुक्त द्वारा ही आशयपूर्वक कारित की गई। विशेष रूप से तब जबकि घटना का मूल कारण वाहन की आपसी टक्कर का विवाद होना स्वयं अभियोजन के साक्ष्य से सिद्ध है। इस संबंध में अभियोजन को यह सिद्ध करना होगा कि वाहन क्षतिग्रस्त हुआ एवं उक्त नुकसान अभियुक्त द्वारा किया गया हो। इस संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित गवाहान की साक्ष्य को देखे तो गवाह पी.ड. 2 अयूब खान ने न्यायालय के समक्ष हुए अपने साक्ष्य में कथन किया कि अभियुक्त द्वारा अपने ट्रेक्टर से वैन को टक्कर मारकर वाहन का शीशा तोड दिया था। इसी प्रकार गवाह पी.ड. 4 सलीम की साक्ष्य को देखे तो गवाह ने कथन किया कि अभियुक्त द्वारा ट्रेक्टर उसे टक्कर मारकर उसकी गाडी के शीशे तोड दिए थे। इसी प्रकार गवाह पी.ड. 5 आमिन ने कथन किया कि अभियुक्त द्वारा उनकी वैन का पीछे का शीशा तोड देने का कथन किया गया है। प्रकरण में परीक्षित उक्त तीनों ही गवाह वक्त घटना मौके पर मौजुद थे एवं उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष अभियुक्त द्वारा वाहन के शीशे तोडे जाने के कथनों का खण्डन नहीं आया है। प्रकरण में अभियोजन द्वारा वाहन के फोटोग्राफ प्रस्तुत कर प्रदर्श पी—8 एवं प्रदर्श पी—9 के रूप में प्रदर्शित करवाए गए हैं। **साथ ही अभियुक्त एवं प्रार्थी पक्ष के बीच हुए राजीनामा दिनांकित 18.07.2019 का प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ता द्वारा भी प्रस्तुत किया गया है** जिससे प्रथमदृष्टया इस तथ्य की सम्पुष्टि होती है कि अभियुक्त द्वारा वाहन का शीशा फोडकर प्रार्थी पक्ष को रिष्टि कारित की गयी, जिसका कोई खण्डन पत्रावली में नहीं आया है।

30. पत्रावली के अवलोकन करे तो अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे गए सवालो में यह स्वीकार किया गया है कि परिवादी की कार एवं उसके ट्रैक्टर के मध्य दुर्घटना हुई थी तथा उसी बात को लेकर दोनों पक्षों के मध्य विवाद हुआ। अतः घटना का मूल प्रसंग विवादित नहीं है। परिवादी एवं अभियोजन साक्षियों द्वारा यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि उक्त विवाद के दौरान अभियुक्त ने परिवादी की कार के शीशे तोड़ दिए। इन कथनों का समर्थन गवाह पी.ड. 2, पी.ड. 4 एवं पी.ड. 5 की साक्ष्य, अनुसंधान अधिकारी के साक्ष्य तथा फर्द निरीक्षण वाहन मारूति वैन प्रदर्श पी—4 द्वारा होता है, जिनसे वाहन के क्षतिग्रस्त होने का तथ्य पुष्ट होता है। यद्यपि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत छायाचित्रों प्रदर्श पी—8 व प्रदर्श पी—9 के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65—बी का प्रमाणपत्र अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है, तथापि अभियोजन का प्रकरण केवल उक्त छायाचित्रों पर आधारित नहीं है। वाहन की क्षति अन्य स्वतंत्र साक्ष्यों एवं विवेचना से भी प्रमाणित होती है। इस प्रकार न्यायालय के समक्ष उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के समग्र मूल्यांकन से यह संदेह से परे सिद्ध होता है कि अभियुक्त ने जानबूझकर परिवादी की कार के शीशे तोड़कर उसकी संपत्ति को क्षति पहुँचाई। अतः अभियुक्त का कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 427 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध सिद्ध होता है।

31. प्रकरण में अभियुक्त पर **धारा 341 भारतीय दंड संहिता** का आरोप है, इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह विवादित नहीं है कि परिवादी की कार एवं उसके ट्रैक्टर के मध्य दुर्घटना हुई थी

Authenticated Document

तथा उसी बात को लेकर दोनों पक्षों के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ। परिवादी एवं अभियोजन साक्षियों ने अपने कथनों में स्पष्ट रूप से कहा है कि दुर्घटना के उपरांत अभियुक्त ने ट्रैक्टर को इस प्रकार खड़ा कर परिवादी का मार्ग अवरुद्ध कर दिया, जिससे परिवादी अपनी कार लेकर आगे नहीं जा सका। इस तथ्य के संबंध में अभियोजन साक्षियों के कथनों में कोई ऐसा भौतिक विरोधाभास परिलक्षित नहीं होता जिससे उनके इस भाग को अविश्वसनीय माना जाए। **यद्यपि न्यायालय ने मारपीट व धार्मिक विश्वासों का अपमान संबंधी आरोपों को संदेह से परे सिद्ध न होने के कारण अभियुक्त को उसका लाभ प्रदान किया है, तथापि इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि मार्ग अवरुद्ध करने व संपत्ति को क्षति पहुँचाने का आरोप भी स्वतः असिद्ध हो गया।** प्रत्येक आरोप का मूल्यांकन उसके स्वतंत्र साक्ष्य के आधार पर किया जाना आवश्यक है। उपलब्ध मौखिक साक्ष्य से यह संदेह से परे सिद्ध होता है कि अभियुक्त ने जानबूझकर परिवादी को उस दिशा में जाने से रोका, जहाँ उसे विधिपूर्वक जाने का अधिकार था। अतः अभियुक्त का कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 339 में परिभाषित 'अनुचित अवरोध' (Wrongful Restraint) की परिधि में आता है तथा वह धारा 341 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का दोषी है।"

32. उपरोक्त सभी तर्कों के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 323 एवं धारा 295ए भारतीय दंड संहिता का अपराध संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है एवं धारा 341, 427 भारतीय दंड संहिता में संदेह से परे पूर्ण रूप से प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 295ए भारतीय दण्ड संहिता में साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है एवं धारा 341, 427 भारतीय दंड संहिता में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

: आदेश::—

33. अतः अभियुक्त **अंबालाल** पुत्र पुत्र रामनारायण निवासी दाताजी पुलिस थाना लाम्बाहरिसिंह जिला टोंक को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 323, 295ए भारतीय दण्ड संहिता** में संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है एवं आरोपित अपराध अन्तर्गत **धारा 341, 427 भारतीय दंड संहिता** के तहत् पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर **दोषसिद्ध** करार दिया जाता है। अभियुक्त के पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

{नवीन मीणा}
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरवाड़
जिला—अजमेर

Authenticated Document

34. **सजा के प्रश्न पर सुना गया।** दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से कथन किया गया कि अभियुक्त का प्रथम अपराध है उनके विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। यदि अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता है तो इससे अभियुक्त के सामाजिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अभियुक्त की ओर से यह भी निवेदन किया गया कि घटना वर्ष 2019 की है, अभियुक्त लम्बे समय से विचारण का सामना कर रहा है, उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास अभिलेख पर नहीं है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध उदार एवं नरमी का दृष्टिकोण अपनाया जाकर दोषसिद्ध अपराध में परिवीक्षा पर छोड़े जाने का निवेदन किया। जबकि दौराने बहस सहायक अभियोजन अधिकारी ने पुरजोर विरोध करते हुए अभियुक्त को कठोर दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

35. उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह जाहिर होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली में संलग्न नहीं है व न ही दौराने अन्वीक्षा पेश किया गया है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: दण्डादेश::

36. अतः अभियुक्त अंबालाल पुत्र पुत्र रामनारायण निवासी दाताजी पुलिस थाना लाम्बाहरिसिंह जिला टोंक को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 341 एवं 427 भारतीय दण्ड संहिता** के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप हेतु **दोषसिद्ध** करार दिया जाने पर उसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त रुपए **10,000**/– के स्वयं के बंधपत्र एक वर्ष की अवधि के लिए इन शर्तों के अधीन पेश करें कि वह ऐसे अपराध की पुनरावृर्ती नहीं करेंगे, उक्त अवधि के दौरान सदाचार बनाए रखेगा, शर्त भंग होने पर न्यायालय में सजा पाने के लिए उपस्थित हो जाएगा, पेश कर तस्दीक करावें तो उसे सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है एवं अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 5 के तहत अभियुक्त पर **3000**/– रूपए अक्षरे **तीन हजार रुपए** अभियोजन व्यय के रूप में अधिरोपित किए जाते हैं जो जमा राजकोष रहे। **साथ ही अभियुक्त को धारा 12 परिवीक्षा अधिनियम के तहत दोषिसिद्ध की निर्हरता से ग्रसित नहीं होगा।** अभियुक्त द्वारा प्रथम बार परिवीक्षा का लाभ लेने के बाबत शपथ पत्र पेश किया जावे। अभियुक्त की ओर से पूर्व में न्यायालय में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत व बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं।

37. अभियुक्त बर जमानत न्यायालय आजाद हैं। अभियुक्त द्वारा कानूनन धारा 437 ए द.प्र.सं. के तहत 20,000/– रूपए का जमानत मुचलका 6 माह की अवधि के लिए इस शर्त के साथ पेश करने

के आदेश दिए जाते है कि प्रकरण में उक्त अवधि में अपील/निगरानी होने पर वह स्वयं न्यायालय में उपस्थित होगा। अभियुक्त के न्यायालय में नियमित हाजरी बाबत पूर्व में पेशशुदा जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

38. इस निर्णय की एक प्रति ई–कोर्ट पर अपलोड की जावे।

{नवीन मीणा}
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरवाड़
जिला–अजमेर

39. निर्णय एवं दण्डादेश आज दिनांक 09–07–2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

{नवीन मीणा}
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरवाड़
जिला–अजमेर

HARISH SHARMA

Digitally signed by HARISH SHARMA
Date: 2026.07.09 16:40:04 +0530

Authenticated Document